(144)

प्राप्ति प्रारूप/Receipt Form

021

नं० 46
No.

बुक नं०
Book No.

तारीख ....20.........
Date 06/09/2023

श्री .... से पत्र संख्या ....

तारीख .... के साथ रुपयों की राशि नकदी में ....

....बैंक के नाम जारी तारीख....................................

के चैक द्वारा मद्द संदाय के रूप में प्राप्त हुई।

Received from Sh. Hemant Kumar, H.P.

with letter No. ....Dated.....................

the sum of Rupees Ten only

in Cash/Cheque dated cash .... on

account of RTI Fee

in payment of ....

रुपये/Rs. 10/-

हस्ताक्षर/Initial ....
सहायक निदेशक (लेखा)
पद/Designation....................
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ रोड, देहरादून

---

(143)

3582 TFI
28/08/23

DD(FID)/CPIO

10
28 AUG 2023

सेवा में,

महानिदेशक,
भारतीय वन सर्वेक्षण,
कौलागढ रोड, पो.आ.-आई.पी.ई
देहरादून 248195

भारतीय वन सर्वेक्षण
Forest Survey of India
डायरी सं. / Diary No. 205
तारीख / Date 29/8/2023

विषयः- **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अनुसार सूचना प्रदान करने बारे।**

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अनुसार निम्नलिखित सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

1. अनुबंन्धित कर्मचारी हेमंत कुमार, डी.ई.ओ. जो कि उत्तरी अंचल शिमला में लेखा शाखा में कार्यरत था ने अपनी नौकरी के बारे में दिनांक 03.06.2022 को Email ID dgfsi@fsi.nic.in पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

अतः उपरोक्त सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

दिनांकः-

भवदीय,
(हेमंत कुमार)
गांव कमयाणा पो.आ. पोआबो
तहसील व जिला शिमला
हि.प्र. 171006
मो. 70186-56341

संलग्नः-

1. रूपये 10 का आई.पी.ओ. महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।

29/08
Please process & discuss.
RTI cell

(174)

RTI MATTER
SPEED POST

संख्या–13–1/2023–RTI 2416
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पे0ऑ0–आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग
देहरादून–248195

दिनांक: 26 सितंबर, 2023

सेवा में,

Shri Hemant Kumar
Village- Kamyana, P.O.- Poabo,
Tehsil and Distt- Shimla,
Himachal Pradesh-171006,
Mobile No-7018656341

Sub:- Offline RTI Application under RTI Act, 2005.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपके आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 29.08.2023 द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में यह कहना है कि आपके पत्र द्वारा मांगी गयी सूचना संलग्न की जा रही हैं

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर निम्नांकित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

मीरा अय्यर, (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
भारतीय वन सर्वेक्षण,
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून–248195
फ़ोन नंबर: 01352755037

भवदीय,

25/09

(कमल पाण्डेय)
लोक सूचना अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तनुसार

O/c
25/9/23

प्रेषित
26/9/23

772

कमांक 2–69/2022/V/44

भारतीय वन सर्वेक्षण
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय)
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड
लौंगवुड, शिमला–171001

128
19-01-23

दिनांक: 12 जनवरी 2023

सेवा में,

महानिदेशक
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ मार्ग, देहरादून।

[ध्यानाकर्षणः– श्री मुंढे अरविंद दत्तु, उपनिदेशक (का.एवं प्र.)]

ADC(P&A)

विषयः– **नौकरी को बहाल न करने के कारणों की जांच करवाने हेतु प्रार्थना पत्र के संबंध में।**

संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्र संख्या 7–1/2012–प्रशासन–पार्ट–II–4912 दिनांक 28.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला में कार्यालय के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु बजट उपलब्धतानुसार आउटसोर्स एजेंसी को मांगपत्र के माध्यम से विभिन्न वर्ग के आउटसोर्स कार्मिकों के नाम इस कार्यालय में प्रायोजित करने की मांग की जाती है।

जैसा कि विदित है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस कार्यालय में बजट की अत्यंत कमी के कारण कार्यालय के कार्यो के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे गये सभी आउटसोर्स कार्मिकों (कुल 09) को दिनांक 16/12/2021 से अस्थायी (temporarily) तौर पर हटा दिया गया था और इस संबंध में कार्यालय के अ.शा.पत्र संख्या 2–99/2021/2965 दिनांक 15/12/2021 द्वारा महोदय को सूचित कर दिया गया था (अनुलग्नक–1)। कार्यालय द्वारा इस दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध नियमित कर्मचारियों से ही कार्यालय के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु सेवाएं ली गयी। वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट उपलब्ध होने के उपरांत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पुनः आवश्यकतानुसार एवं बजट उपलब्धतानुसार पूर्व में रखे गए कुल नौ (09) आउटसोर्स कार्मिकों में से केवल कुल पांच (05) आउटसोर्स कार्मिकों को ही रखा गया है, जिसके लिए आउटसोर्स एजेंसी द्वारा श्री हेमन्त कुमार का नाम प्रायोजित नहीं किया गया है (अनुलग्नक–2)। श्री हेमन्त कुमार के मामले में सूचित करना है कि उन्हें इस कार्यालय द्वारा सीधे तौर पर अनुबन्ध पर नहीं रखा गया था, अपितु आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से रखा गया था। इसलिए श्री हेमन्त कुमार को अपने रोजगारी के संबंध में आउटसोर्स एजेंसी को अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

महोदय को सूचित करना है कि श्री हेमंत कुमार द्वारा माननीय लेबर कोर्ट में भी आउटसोर्स एजेंसी एवं इस कार्यालय के विरूद्ध इस संबंध में केस दायर किया गया है, जिसका मामला अभी न्यायालय में लंबित है।

महोदय को यह भी सूचित करना है कि कार्यालय में वर्तमान में भी बजट अभाव की स्थिति बनी हुई है और आउटर्सोस एजेंसी का बकाया भुगतान भी लंबित है। इसलिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से महत्वपूर्ण फील्ड कार्यो को ससमय पूरा करने के लिए ही अधिकतर आउटर्सोस कार्मिकों को रखा गया है और बजट अभाव को देखते हुए कार्यालय के कार्यों के सूचारू संचालन हेतु कम से कम आउटर्सोस कार्मिकों को ही कार्यालय में रखा गया है।

कृपया यह आपके सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

सादर,

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय) 17/1/2023